



# समान नागरिक संहिता (UCC) - नियमावली उत्तराखण्ड, 2025

समानता  
द्वारा  
समरसता

समान  
नागरिक संहिता  
उत्तराखण्ड, 2024



1. परिचय
2. नियुक्तियाँ एवं कर्तव्य
3. विवाह, विवाह विच्छेद और विवाह की अकृतता का पंजीकरण
4. इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी/ इच्छापत्रीय उत्तराधिकार
5. सहवासी संबंध (Live-In)
6. प्रकीर्ण (Miscellaneous) प्रावधान
7. यूसीसी के क्रियान्वयन की कार्ययोजना

# यूसीसी (UCC) की यात्रा



08 फरवरी 2024

यूसीसी पर विशेषज्ञ  
समिति का गठन

27 मई 2022 को गठन,  
रिपोर्ट 02 फरवरी 2024  
को प्रस्तुत

राज्य विधानसभा  
द्वारा अधिनियम  
अनुमोदित

भारत के माननीय  
राष्ट्रपति द्वारा  
अधिनियम अनुमोदित

08 मार्च 2024

12 मार्च 2024

यूसीसी उत्तराखंड  
अधिनियम,  
2024

यूसीसी नियामवली  
समिति का गठन

14 फरवरी 2024 को  
गठन, रिपोर्ट 18 अक्टूबर  
2024 को प्रस्तुत

राज्य सरकार द्वारा  
अधिसूचित

यूसीसी  
नियम

# समान नागरिक संहिता नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025

## विवरण व दायरा



लागू



संपूर्ण क्षेत्र पर लागू




बाहर रहने वाले उत्तराखंड निवासियों



लागू नहीं

1. संविधान के अनुच्छेद 342 व अनुच्छेद 366(25) के तहत अनुसूचित जनजातियों।
2. भाग XXI के तहत संरक्षित प्रथागत अधिकार वाले व्यक्तियों/समूहों।

1. परिचय
2. नियुक्तियाँ एवं कर्तव्य
3. विवाह, विवाह विच्छेद और विवाह की अकृतता का पंजीकरण
4. इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी/ इच्छापत्रीय उत्तराधिकार
5. सहवासी संबंध (Live-In)
6. प्रकीर्ण (Miscellaneous) प्रावधान
7. यूसीसी के क्रियान्वयन की कार्ययोजना



★ स्टांप और पंजीकरण अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार पहले की तरह कार्य करेंगे।

### रजिस्ट्रार जनरल के मुख्य कर्तव्य



#### निष्क्रियता पर कार्रवाई:

- यदि रजिस्ट्रार **तय समय** (Tatkal/सामान्य) में कार्रवाई न करे → **मामला ऑटो-फॉरवर्ड** ।
- **संक्षिप्त जांच** करवाकर - **प्रमाण-पत्र जारी** या **अस्वीकृति आदेश**।



#### अपील का निपटारा (Appeals)

- रजिस्ट्रार/सब-रजिस्ट्रार के आदेशों के विरुद्ध **अपीलें 60 दिन के भीतर** निपटाना।
- **सुनवाई, दस्तावेजों की जाँच तथा तर्कसंगत आदेश जारी** करना।



- तय समय में यदि सब-रजिस्ट्रार कार्रवाई न करे → मामला ऑटो-फॉरवर्ड ।
- संक्षिप्त जांच पूरी करेगा और प्रमाण-पत्र जारी या अस्वीकृति करेगा।



- सब-रजिस्ट्रार के **अस्वीकृति आदेश** पर आवेदक द्वारा की गई **अपील** का **60 दिन** में निपटारा।



- **Live-In - नियमों के उल्लंघन या विवाह हेतु क़ानूनन प्रतिबंधित स्थितियों में पुलिस को सूचना देना।**

### सब-रजिस्ट्रार के मुख्य कर्तव्य



#### संक्षिप्त जांच (Summary Inquiry):

- सभी दस्तावेजों व जानकारीयों की सत्यता की जाँच - समय-सीमा: सामान्यतः 15 दिन (Tatkal में 3 दिन)।
- आवेदक से 5 दिन के अंदर (Tatkal में 24 घंटे) कोई जानकारी/स्पष्टीकरण माँग सकते हैं।



#### अस्वीकृति के आधार:


- अवैध विवाह (उम्र कम, पूर्व विवाह विद्यमान, प्रतिबंधित संबंध, आदि), जाली/भ्रामक दस्तावेज या जानकारी। समय पर जानकारी न देना।



#### जुर्माना/पुलिस सूचना –

- समय पर मेमोरेंडम/आवेदन न देने या नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना/पुलिस को सूचना।
- विवाह जानकारी सत्यापित होने पर, सूचना माता-पिता/अभिभावकों को देना।

### आवेदकों (Registrants) के कर्तव्य



समय पर आवेदन जमा करना -

- दस्तावेज़ नियत **समय-सीमा** में जमा करना।
- विलंब होने पर **लेट फीस या जुर्माना** जमा करना।




अतिरिक्त जानकारी देना: रजिस्ट्रार/सब-रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार जनरल की **माँग पर** निर्धारित समय में जानकारी देना।



जानकारी अपडेट करना: जानकारी में परिवर्तन होने पर **ऑनलाइन अपडेट** करना।


1. परिचय
2. नियुक्तियाँ एवं कर्तव्य
3. विवाह, विवाह विच्छेद और विवाह की अकृतता का पंजीकरण
4. इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी/ इच्छापत्रीय उत्तराधिकार
5. सहवासी संबंध (Live-In)
6. प्रकीर्ण (Miscellaneous) प्रावधान
7. यूसीसी के क्रियान्वयन की कार्ययोजना

# विवाह, विवाह विच्छेद और विवाह की अकृतता का पंजीकरण (1/4)



# विवाह, विवाह विच्छेद और विवाह की अकृतता का पंजीकरण (2/4)

## विवाह पंजीकरण व अभिस्वीकृति



★ बहुपत्नी विवाह (Polygyny) — यह प्रावधान सिर्फ पहले से मौजूद बहुपत्नी शादियों के लिए लागू होगा  
(only acknowledgement – No registration)

# विवाह, विवाह विच्छेद और विवाह की अकृतता का पंजीकरण (3/4)



## तलाक/विवाह शून्यता का पंजीकरण

### 1. डिक्री का वर्गीकरण

- कोड लागू होने से पहले/बाद,
- राज्य के अंदर/बाहर पारित डिक्री

### 2. आवेदन में अनिवार्य जानकारी - विवाह पंजीकरण/अभिस्वीकृति नंबर (यदि उपलब्ध), तलाक/शून्यता की डिक्री का विवरण (अदालत, केस नंबर, अंतिम आदेश की तिथि), बच्चों का विवरण (यदि हों), कोर्ट के अंतिम आदेश की कॉपी

### 3. प्रक्रिया

- **ऑनलाइन:** Aadhaar लॉगिन ।
- **ऑफ़लाइन:** Form-2 + दस्तावेज़ → सब-रजिस्ट्रार के समक्ष पेश करना।

### 1. फीस व लेट फ़ीस - समय पर आवेदन पर सामान्य फीस, विलंब होने पर अतिरिक्त लेट फ़ीस।

## आवेदकों के अधिकार

1

यदि सब-रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार समय पर कार्रवाई नहीं करता तो **ऑनलाइन शिकायत दर्ज** की जा सकती है।

2

सब-रजिस्ट्रार के अस्वीकृति आदेश पर → **रजिस्ट्रार के पास अपील (30 दिन)**

3

रजिस्ट्रार के अस्वीकृति आदेश पर → **रजिस्ट्रार जनरल के पास अपील (30 दिन)**

4

अपील **ऑनलाइन पोर्टल/ऐप** के माध्यम से दायर हो सकेगी ।

1. परिचय
2. नियुक्तियाँ एवं कर्तव्य
3. विवाह, विवाह विच्छेद और विवाह की अकृतता का पंजीकरण
4. इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी/ इच्छापत्रीय उत्तराधिकार
5. सहवासी संबंध (Live-In)
6. प्रकीर्ण (Miscellaneous) प्रावधान
7. यूसीसी के क्रियान्वयन की कार्ययोजना

## इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी/ इच्छापत्रीय उत्तराधिकार (1/3)

### अविवर्ति उत्तराधिकार (Intestate Succession)

- **संपत्ति का वितरण:** कोड की धारा 49-60 के अनुसार।
- **विधिक उत्तराधिकारी (Legal Heir) की घोषणा:** 18 वर्ष से अधिक आयु + साउंड माइंड वाला व्यक्ति अपनी संपत्ति के संभावित उत्तराधिकारियों की सूची घोषित कर सकता है।
- **घोषणा का प्रमाण-पत्र:** सब-रजिस्ट्रार सिर्फ यह प्रमाणित करता है कि अमुक व्यक्ति ने अमुक लोगों को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया।

### विधिक उत्तराधिकारी घोषित करने की प्रक्रिया

- **ऑनलाइन आवेदन:** Aadhaar लॉगिन + गवाहों एवं आवेदक की **वीडियो रिकॉर्डिंग** अपलोड।
- **समयबद्धता:** यदि अधिकारी अतिरिक्त जानकारी मांगें, तो 5 दिन में जवाब देना; पता या अन्य विवरण बदलने पर 30 दिन में अपडेट करना।


## इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी/ इच्छापत्रीय उत्तराधिकार (2/3)

### वसीयत आधारित उत्तराधिकार (Testamentary Succession)

1. वसीयत (Will) व कॉडिसिल (Codicil) का **ऑनलाइन पंजीकरण**: टेस्टेटर स्वयं या किसी अधिकृत एजेंसी की मदद से कर सकता है।
2. **तीन तरीके**:
  - पोर्टल पर फ़ॉर्म भरना,
  - हस्तलिखित/टाइप्ड वसीयत अपलोड करना,
  - 3 मिनट की वीडियो में वसीयत बोलकर अपलोड।
3. **कॉडिसिल, रद्दीकरण, पुनर्जीवन**: वसीयत में संशोधन/रद्दीकरण/दोबारा लागू करना - ऑनलाइन संभव।
4. **दो गवाह अनिवार्य**; गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी ज़रूरी।

★ स्टांप और पंजीकरण अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार पहले की तरह कार्य करेंगे।

## इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी/ इच्छापत्रीय उत्तराधिकार (3/3)




### टेस्टेटर, उत्तराधिकारी, कार्यकारी (Executor) के अधिकार

- **टेस्टेटर:** वसीयत बनाना, बदलना, रद्द करना, पुनर्जीवित करना; “अंतिम वसीयत” घोषित करना।
- **कार्यकारी/उत्तराधिकारी:** टेस्टेटर की मृत्यु के बाद मृत्यु प्रमाणपत्र देकर **वसीयत रजिस्टर** करना; **वसीयत की प्रति** लेना।
- **Deemed Registration:** टेस्टेटर - **वसीयत जमा** कराई और फ़ैसला होने से पहले **मृत्यु** - वसीयत जमा की तारीख से - **पंजीकृत** (यदि जाँच सही)।

### अपील का अधिकार

- **सब-रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार का रिजेक्शन:** 30 दिन में क्रमशः रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार जनरल के पास ऑनलाइन अपील।
- **ऑनलाइन पोर्टल/ऐप** पर अपील।

1. परिचय
2. नियुक्तियाँ एवं कर्तव्य
3. विवाह, विवाह विच्छेद और विवाह की अकृतता का पंजीकरण
4. इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी/ इच्छापत्रीय उत्तराधिकार
5. सहवासी संबंध (Live-In)
6. प्रकीर्ण (Miscellaneous) प्रावधान
7. यूसीसी के क्रियान्वयन की कार्ययोजना



### 1. पंजीकरण की प्रक्रिया

- साझे आवास (Shared Household) हो तो **सीधे पंजीकरण** प्रमाण-पत्र (संक्षिप्त जाँच के बाद)
- आवास न हो तो पहले **प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट** (30 दिन वैध, 15 दिन तक बढ़ाव) और फिर **आवास** का प्रमाण देकर **पूर्ण पंजीकरण**।

### 2. समाप्ति (Termination)

- एक या दोनों साथी ऑनलाइन/ऑफ़लाइन - लिव-इन संबंध समाप्त कर सकते हैं। यदि एक ही साथी आवेदन करे, तो रजिस्ट्रार दूसरे साथी की पुष्टि करके ही इसे स्वीकार करेगा।
- यदि महिला गर्भवती हो तो रजिस्ट्रार को सूचना अनिवार्य, बच्चे के जन्म पर 30 दिन में अपडेट करना।

### 3. शुल्क (Fees) - लिव-इन (old and new) जोड़े के लिए **पंजीकरण शुल्क**, **termination शुल्क**, और **विलंब शुल्क** (यदि लागू) का भुगतान करना होगा।

### 4. अधिकार व कर्तव्य

- **शिकायत:** रजिस्ट्रार की निष्क्रियता होने पर रजिस्ट्रार जनरल को **ऑनलाइन शिकायत**।
- **अपील:** अस्वीकृति आदेश मिलने पर 30 दिन में ऊपरी प्राधिकारी (रजिस्ट्रार → रजिस्ट्रार जनरल) के समक्ष अपील।
- **बच्चों की देखभाल/रखरखाव:** बाल-हित से जुड़े विवाद या माँगें उसी न्यायालय में दाखिल की जाएँगी जो पंजीकरण क्षेत्र से संबद्ध है।

1. परिचय
2. नियुक्तियाँ एवं कर्तव्य
3. विवाह, विवाह विच्छेद और विवाह की अकृतता का पंजीकरण
4. इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी/ इच्छापत्रीय उत्तराधिकार
5. सहवासी संबंध (Live-In)
6. प्रकीर्ण (Miscellaneous) प्रावधान
7. यूसीसी के क्रियान्वयन की कार्ययोजना

## प्रकीर्ण (Miscellaneous) प्रावधान



1

पंजीकरण के आँकड़े सभी को उपलब्ध करना ।

2

निजी विवरण केवल सहमति से ही साझा हो सकेगी।

3

पहली बार झूठी शिकायत पर चेतावनी, दूसरी एवं तीसरी पर जुर्माना।

4

जुर्माना/दंड की वसूली - 45 दिन में भुगतान अनिवार्य, भूमि राजस्व से वसूली ।

5

ऑनलाइन शिकायत (वेब-पोर्टल/ऐप) → 45 दिन में निष्कर्ष।

6

प्रमाणित कॉपी - ऑनलाइन आवेदन + तय फ़ीस, सीमित सूचना के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त अर्जी की ज़रूरत।

7

लिव-इन (Live-In) प्रमाण पत्र होने पर मकान मालिक “शादी नहीं हुई” कहकर इनकार नहीं कर सकता।

1. परिचय
2. नियुक्तियाँ एवं कर्तव्य
3. विवाह, विवाह विच्छेद और विवाह की अकृतता का पंजीकरण
4. इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी/ इच्छापत्रीय उत्तराधिकार
5. सहवासी संबंध (Live-In)
6. प्रकीर्ण (Miscellaneous) प्रावधान
7. यूसीसी के क्रियान्वयन की कार्ययोजना

## यूसीसी के क्रियान्वयन की कार्ययोजना (1/2)



- ✓ ऑनलाइन आवेदन के लिए **पोर्टल** ([ucc.uk.gov.in](http://ucc.uk.gov.in)) - **नागरिकों एवं अधिकारियों** के लिए विकसित।
- ✓ कॉमन सर्विस सेंटर (**CSC**) को **Training Partner** के रूप में नामित।
- ✓ सुचारु क्रियान्वयन व प्रशिक्षण के लिए **प्रत्येक ज़िलों में नोडल अधिकारी** नामित किए गए हैं।
- ✓ अधिकारियों के लिए **प्रशिक्षण कार्यक्रम** 09.01.2025 - 20.01.2025 - **सभी विकासखंडों** में।
- ✓ **सहायता और तकनीकी परामर्श** हेतु आईटीडीए में **हेल्पडेस्क (1800-180-2525)** स्थापित।
- ✓ **विधिक प्रश्नों** के समाधान हेतु **अभियोजन विभाग** के जिला स्तरीय अधिकारी नियुक्त।
- ✓ सभी तैयारी जांचने के लिए **21 जनवरी को राज्यव्यापी मॉक-ड्रिल** का आयोजन।
- ✓ **नागरिक जागरूकता** और अधिकारियों की सुविधा के लिए **Short Video एवं Booklets** तैयार किए गए हैं।

## यूसीसी के क्रियान्वयन की कार्ययोजना (2/2)



# 99%

ब्लॉक स्तर का प्रशिक्षण  
पूर्ण





# 1953

अधिकारी प्रशिक्षित



# 10,000


21.01.2025 तक  
वी०एल०ई० प्रशिक्षित करने  
की योजना।



## यूसीसी पोर्टल की प्रमुख विशेषताएँ

- **Cloud-Based पोर्टल (NIC):** आपदा पुनर्प्राप्ति (**Disaster Recovery**) की सुविधा स्थापित।
- **Aadhaar Enabled:** सत्यापन व लॉगिन।
- **Bhashini AI :** 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में **स्वतः अनुवाद** की सुविधा।
- **13 विभागों/सेवाओं के साथ एकीकृत (API):** जन्म/मृत्यु रजिस्ट्रेशन, जिला/उच्च न्यायालयों आदि जैसी सेवाओं से डेटा-संबंधी समन्वय।





धन्यवाद